are 36 pending Bills and I would earnestly request the Government to take them up in the next Session. The next session should be better planned and these Bills should not be lost sight of, but should be disposed of in the next session. I hope the Government will take care to see that the next session is planned much better and much more efficiently than before.

**Shri Satya Narayan Sinha:** It is true that some of the Bills which have been passed by the Rajya Sabha have not been put through in this House. I would like to point out that the last three or four sessions were so crowded and comparatively more important business was put through. I cannot promise that the Government will put through all these Bills in the next session also. As the House is aware, the next session also is going to be very crowded and very important Bills like the S. R. Bill and the Constitution Amendment Bill are going to be taken up. Government will take up some of the Bills enumerated by my hon. friend. It is only a question of priority and importance of the legislation. As far as the Bills which have been passed by the Rajya Sabha are concerned, we will certainly find time for those Bills which the Government think are very very important. Otherwise, as my hon. friend said, they might lapse.

**Pandit Thakur Das Bhargava** (Gurgaon): What are we discussing now? The programme was just read out to this House. There is no motion before this House, so far as these Bills referred to by Shri Kamath are concerned.

**Mr. Chairman:** It is a matter of interest to each and every Member of the House; I do not think we are barred by any rule.

**Pandit Thakur Das Bhargava:** I am sorry there is no specific motion in regard to these Bills referred to by Shri Kamath before the House. Only the programme has been read out for the next week. Without a motion, this matter cannot be taken up. It is a very serious matter that my hon. friend has raised. I do not object to it, but there is no motion before the House. All the Members are not here; we did not know that the matter is coming up. Therefore, this matter should not be further discussed. We should proceed to the next business before the House.

**Mr. Chairman:** There is no question of lengthening the discussion on this. The programme was read out and incidentally, the matter was raised. I think the matter should be more properly raised in the Business Advisory Committee. Anyhow, Pandit Thakur Dasji has to lay some report on the Table; let him do so, before we proceed further with this discussion.

## RULES COMMITTEE

### FOURTH REPORT

**Pandit Thakur Das Bhargava:** (Gurgaon): I beg to lay on the Table of the House, under sub-rule (1) of rule 306 of the Rules of Procedure, a copy of the Fourth Report of the Rules Committee.

## BUSINESS OF THE HOUSE

**Shri Kamath:** The Minister of Parliamentary Affairs said that the Travancore-Cochin State Legislature (Delegation of Powers) Bill would be taken up, if time permits. This morning, when the Speaker was in the Chair, an assurance was given that it would be taken up in this session. Is that correct? If it is not taken up on the 22nd, will it be taken on the next day?

**Shri Satya Narayan Sinha:** I said it would be taken up on the 22nd if time permitted. Otherwise, it would be taken up later. But, I made it perfectly clear that the Bill would be put through in this session. If there is time after the business of the House is finished on the 22nd, then this Bill be taken up. But, if it is not done, it may come later on 28th or the 29th. Certainly that Bill will be put through before we disperse.

**Shri Kamath:** How much time will be allotted for that?

**Mr. Chairman:** The Business Advisory Committee will look into that. Now, we proceed with the motion before the House.

## INDIAN ADOPTION OF CHILDREN BILL—*Contd.*

**Mr. Chairman:** We shall now proceed further with the Indian Adoption of Children Bill, which was interrupted for making the announcement about the programme for next week.

**श्री राधा रमण** (दिल्ली नगर) : सभापति जी, अभी सदन के सामने जो विधेयक हमारी बहिन श्रीमती जयश्री रायजी ने बच्चों को गोद लेने की रस्म के सम्बन्ध में रखा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं देखता हूं कि हमारे देश में गोद लेने की प्रथा बहुत जमाने से चली आई है और विशेष कर हिन्दुओं में जहां परिवार को कायम रखने की इच्छा होती है, बच्चों को गोद लिया जाता है। खाविंद के जीते जी किसी भी परिवार में एक बच्चे को गोद लेना बहुत मुनासिब और सही समझा जाता है और सैकड़ों रस्में इस प्रकार की होती हैं, मगर जो गोद लेने की रस्म हिन्दुओं में मौजूद है, उस में आज बहुत सी त्रुटियां देखने को मिलती हैं। जब हम इस प्रकार बच्चों को गोद लेकर किसी अच्छे परिवार में शामिल करने की रस्म को देखते हैं और उसके बाद उस व्यवहार को देखते हैं, जो गोद लिये बच्चों के साथ किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई न कोई त्रुटि उस रस्म में रह जाती है और आगे चल कर उसमें ऐसे परिणाम निकलते हैं, जिनमें अदालत और कचहरी की शरण लेनी पड़ती है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है और हमारे देश का वातावरण भी बदलता जाता है और नये नये सामाजिक कानून हमारे सामने आते हैं, समाज और परिवार के पुराने ढांचे में तब्दीलियां होती जाती हैं। इसलिए इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस कानून को भी बदला जाय। लेकिन हमारी बहिन ने जो विधेयक इस सदन के सामने रखा है, उसका अभिप्राय इतना सीमित नहीं है, बल्कि उस का अभिप्राय यह है कि सारे देश में चाहे हिन्दू समाज का कोई परिवार हो और चाहे हिन्दू समाज के अलावा किसी और अन्य जाति का परिवार हो, उसे कानून गोद लेने की आज्ञा मिले और इस सम्बन्ध में हमारे देश में एक ऐसा कानून हो कि हमारे समाज का कोई भी अंग उससे फायदा उठा कर अपने परिवार को कायम रख सके।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक में एक दूसरा उद्देश्य भी छिपा है और वह बहुत ही अच्छा और सुन्दर उद्देश्य है। हम देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी बहुत काफी है और ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनमें गुरबत की वजह से बच्चों का पालन-पोषण, उनकी पढ़ाई, उनके लिए आराम की जिन्दगी उपलब्ध नहीं होती। यह विधेयक उन परिवारों को उन लोगों को जो कि कई कई बच्चों के माता पिता होते हैं एक किस्म की सुविधा देता है कि अगर वे मुनासिब समझें अगर उनकी इच्छा हो, तो वे अपने बच्चों को ऐसे परिवारों में गोद दे सकते हैं जहां उनके लालन-पालन, देख-भाल और शिक्ष इत्यादि का प्रबन्ध अच्छी तरह किया जा सके, जिससे उन का भविष्य उज्वल हो इस बात की, आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब परिवारों के बच्चों को न सिर्फ राज्य द्वारा सुभीता मिले बल्कि जन साधारण में से भी अनेक परिवार ऐसे बालकों को गोद लेकर उनका भार स्वयं उठावें और ऐसे बालकों की शिक्षा, लालन-पालन ठीक प्रकार से हो, वे अपनी रोजाना की जिन्दगी ज्यादा आराम के साथ बसर कर सकें और अपना रहन-सहन अच्छा बना सकें। इस कानन के द्वारा हम उन बच्चों का भविष्य उज्वल बना सकते हैं, जो कि आज धूलि में रमे रहते हैं और जिनको न खाना मिलता है और न कपड़ा।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, इस प्रकार के विधेयक की बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गोद लेने का एक समान प्रकार का कानून हो, तो उससे हमारा यह काम बहुत सहल हो जायगा और गोद लेने के हमारे वर्तमान विधेयक में तथा प्रथा और रस्म में जो बहुत सी त्रुटियां हैं, वे भी हम दूर कर सकेंगे। मुझे इस विधेयक में किसी प्रकार की कोई हानि नजर नहीं आती है और मैं यह समझता हूं कि यह अत्यावश्यक है, समयानुकूल है और इसके द्वारा हम उन छोटे छोटे, नन्हे नन्हे बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ा कर्तव्य कर सकते हैं, जिनका भविष्य आज हम अन्धेरे में देखते हैं या जिनका लालन-पालन उन परिवारों में अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता, जिनमें वे पैदा होते हैं।

इस का एक दूसरा पहलू भी है। जो परिवार बिना औलाद के हैं। जिस के यहां कोई बच्चा नहीं है। जहां स्त्री और पुरुष हर समय अपने घर को सूना पाते हैं। जिन को अपना जीवन शन्य नजर आता है। वह परिवार इस प्रकार एक बच्चे को गोद ले कर अपने घर में रस पैदा कर सकते हैं, अपने सूने घर को एक फुलवाडी में तब्दील कर सकते हैं और इस के साथ ही साथ उस परिवार की भी भलाई कर सकते हैं, जिस में वह बच्चा सही रूप में नहीं पल सकता है और अपने परिवार को कायम कर सकते हैं। इस लिये मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हुए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम ने अभी हिन्दू समाज के

लिए और अन्य जातियों के लिए जो नए नए सामाजिक नियम और कानून बनाए हैं, अगर उन के मातहत एडाप्शन के बिल में—गोद लेने के विधेयक में—या तरीके में आज-कल की स्थिति के अनुसार सुधार करते हैं तो सरकार इस विधेयक को स्वीकार करे और इस प्रकार से चाहे राज्य के द्वारा और चाहे उन परिवारों को गोद लेने की सुविधा द कर, जो कि धन से सम्पन्न हैं, समृद्धिशाली हैं, परन्तु औलाद के बिना बहुत निराश हैं, उन बच्चों की सहायता करे, जो कि डेस्टीच्यूट हैं और जिन के लालन-पालन और शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध उनके परिवार गरीबी के कारण नहीं कर सकते या जो बहुत गरीबी में पल रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि यह विधेयक ऐसा है, जिसके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि वह तो समय की आवश्यकता है इन शब्दों के साथ मैं अपनी बहन श्रीमती जयश्री रायजी के इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से आशा रखता हूं कि वह इस विधेयक को मन्जूर करेगी।

**पंडित सी० एन० मालवीय** (रायसेन) : जनाब चेयरमैन साहब, हमारे माननीय मंत्री पाटस्कर साहब इस बिल को मन्जूर करेंगे, इस बात में मुझे कोई सन्देह नहीं है और इसलिए कि इसमें गवर्नमेंट को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब किसी बात को मन्जूर या नामन्जूर करती है, तो उसमें ज्यादातर खयाल इस बात का होता है कि इस विषय में उसको रुपया खर्च करना पड़ेगा या नहीं। इसमें रुपये का खर्च नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के आशीर्वाद की जरूरत ह और मेरे ख्याल से वह हमारे पाटस्कर साहब के पास इतना ज्यादा है कि वह इसको देने में कभी गुरेज नहीं करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह बिल मुकम्मल है या नामुकम्मल। जहां तक मैंने इसको देखा है, यह बिल मुकम्मल कहा जा सकता है। वैसे अगर हम इसमें त्रुटियां निकालना शुरू करें, तो इसमें बहुत सी त्रुटियां निकाल सकते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य की सफलता के लिए यह बिल बना है, अगर हम उसको दृष्टि में रखें, तो हम अनुभव करेंगे कि यह बिल अपने आप में मुकम्मल है। बच्चे को गोद लेने के सिलसिले में जो भी बातें हैं यानी किस प्रकार का बच्चा हो, गोद लेने वाला कौन हो, उसका जान्ता क्या हो और उस बच्चे का भविष्य क्या हो, उनके लिए इस बिल में सारी दफात मौजूद हैं।

इसके अलावा यह हमारी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को हल करता है। यह ठीक है कि हिन्दू समाज में और दूसरी सोसाइटीज (समाजों) में अपने अपने परसनल ला (व्यक्तिगत विधि) के मुताबिक एडाप्शन (दत्तक ग्रहण) का तरीका रायज है। ऐसे कानून हैं जिनके मुताबिक एडाप्शन (दत्तक ग्रहण) हो सकता है।

इसके खिलाफ एक ऐतराज हो सकता है कि वह किसी रिवाज के खिलाफ जाता है। लेकिन यह ऐतराज इसलिए नहीं उठ सकता कि यह चीज हुकमन जबरदस्ती नहीं की जा रही है। इस कानून का यह असर नहीं होगा कि किसी को एडाप्शन करना ही पड़े। आज कल हिन्दू समाज में जो एडाप्शन रायज है वह हो सकता है कि कुछ दुनियावी गरज से होता हो लेकिन उसमें ज्यादातर परलोक की दृष्टि रहती है। इसलिए बच्चे को गोद लिया जाता है कि वह गोद लेने वाले को पिंड दान दे सके और उसकी आत्मा को शान्ति दे सके। लेकिन इस बिल के जरिये तो हम समाज में जो नर्क बना हुआ है उसको स्वर्ग में बदल देना चाहते हैं। हमारे लिये यह बहुत अच्छी बात होगी।

हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों की आज कमी नहीं है जो कि असहाय हैं, जो अनाथ हैं। उनके लिये कुछ अनाथालय खुले हुए हैं लेकिन फिर भी ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको इन अनाथालयों में जगह नहीं मिलती और जो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर किसी ने कुछ खाना और कपड़ा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो भिखमंगों की टोलियां ऐसे बच्चों को ले जाती हैं, उनको भीख मांगना सिखाया जाता है और इस प्रकार उनके द्वारा आमदनी करके उनका शोषण किया जाता है। कुछ जेब कतरों की टोलियां भी इस तरह के बच्चों को लेकर उनको जेब काटना और बुरे काम सिखाती हैं और इस प्रकार उनका शोषण किया जाता है। अगर हम इस कानून को पास कर देते हैं तो इससे इस सामाजिक बुराई को हटाने में बहुत मदद मिलेगी।

इसका एक नतीजा और भी होगा। आज बहुत से जोड़े समाज में ऐसे हैं जो कि विभिन्न जातियों में विवाह करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी आबादी को एक हद तक महदूद रखना चाहते हैं और इसके लिये फैमिली प्लानिंग (परिवार आयोजन) और दूसरे किस्म के जरिये मुहय्या कर रहे हैं। इस बिल को पास करने का नतीजा यह होगा कि जो मातायें बिना बच्चे के होंगी उनकी गोद सूनी नहीं रहेगी और बच्चों को मातृप्रेम और पितृ प्रेम भी मिल

[श्री सी० एन० मालवीय]

जायेगा । मैं समझता हूं कि हमारे समाज में स्त्रियों की मनोवृत्ति बदलने में देर नहीं लगेगी और वे गोद लिये हुए बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही समझने लगेंगी । इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर यह कानून पास हो जाये और गवर्नमेंट इसको मंजूर कर ले तो हम उन अनाथ बच्चों की आत्माओं की दुआयें लेंगे जिनको अच्छे खानदान मिल जायेंगे, जिनको माता और पिता का प्रेम मिल जायेगा और जिनका जीवन सुधर जायेगा ।

जनाब चेयरमैन साहब, आपको विदित होगा कि हिन्दुस्तान में इतनी उथल पुथल के बाद आज ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या है जिनका कोई पूछने वाला नहीं है । पार्टीशन (विभाजन) के बाद जो बड़े लोग आये हैं वे तो मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह अपनी गुजर कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे आये हैं उनकी बात कोई पूछने वाला नहीं है । यह ठीक है कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए कैम्प खोले हैं जहां उनके खाने पीने का इन्तिजाम है, पढ़ाई का भी इन्तिजाम है । लेकिन फिर भी चूंकि हमारे फंड्स (निधियां) महदूद हैं, हम उतना नहीं कर सकते जितना कि हम करना चाहते हैं । लेकिन इस बिल के पास होने के बाद इस दिशा में बहुत प्रगति हो सकेगी ।

हमारी बहिन श्रीमती जयश्री रायजी केवल एक लेजिस्लेटर (विधान विधायक) ही नहीं हैं । मैं जानता हूं कि वे कितनी जबरदस्त समाज सेविका हैं । उन्होंने इस देश के नारियों की बड़ी सेवा की है और उनकी मनोवृत्ति को बदलने की चेष्टा की है । इस कानून के पास हो जाने के बाद उनका संगठन इस देश में इस भावना को भरने की कोशिश करेगा कि गोद लिया हुआ लड़का या लड़की यद्यपि उनकी अपनी संतान नहीं है लेकिन वे उसको अपने बच्चे की तरह ही प्रेम से रखें जैसे कि अपने पेट के बच्चे को रखते ।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

और जब वे लोग इन बच्चों की अपने बच्चों की तरह से परवरिश करेंगे तो आप ख्याल फरमाइये कि समाज की कितनी जबरदस्त सेवा होगी । उन अनाथ बच्चों को घर मिलेगा और सरकारी तौर पर हम उनका जितना इन्तिजाम नहीं कर पाते उतना इन्तिजाम उनका हो जायेगा । उस घर में उनकी शिक्षा का, खाने पीने का और हर बात का इन्तिजाम हो सकेगा । मैं समझता हूं कि इन सब बातों को सोचते हुए सरकार इन बच्चों का भविष्य सुधारने वाले इस कानून को मंजूर कर लेगी और इसको पास करके हम न सिर्फ अपने मुल्क की फिजा को बदल देंगे और इन बच्चों को सहारा देंगे बल्कि हम इस बिल को पास करके अपने समाज की बुनियादी सेवा भी करेंगे । इस समय हमारा समाज एक बहुत जबरदस्त क्रान्ति में से होकर गुजर रहा है ।

अगर्चे अभी हमारे देश में जाति पांति घर किये हुए हैं लेकिन फिर भी जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनके विचार आज शहरों से देहातों में जा रहे हैं और इस तरह से आज जाति पांति की बुनियाद ढहाई जा रही है । जब यह जाति पांति की बुनियाद ढहाई जा रही है तो हमको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ऐसा करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत हो सकती है और मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का कानून भी हमको इस काम में सहायक हो सकता है और जरूरी है । इस काम को करने के लिये अभी हमने स्पेशल मैरिज ऐक्ट (विशेष विवाह अधिनियम) बनाया है, सक्सेशन बिल हमने पास किया है और इस तरीके से कुछ और कानून पास किये हैं । लेकिन उनमें हम कोई ऐसी जोरदार चीज नहीं लाये कि इस जाति पांति के किले की फौलादी चहार दीवारें ढह सकें । लेकिन इस बिल को पास करके हम उन फौलादी चहारदीवारों को भी तोड़ सकेंगे । उन विभिन्न जातियों में विवाह होंगे तो जाति पांति टूटेगी । ऐसे विवाहों से जो संतानें होंगी उनके लिये हमने कुछ कानून बनाये हैं लेकिन फिर भी उनसे उनको पूरे तरीके से सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) नहीं मिल सकेगी । लेकिन इस बिल के पास होने से हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे । इस प्रकार के गोद लिए हुए बच्चों को वे सारे अधिकार होंगे जो कि असली बच्चों को होते हैं और इसमें लड़कियों के लिए भी प्रावीजन है । इस कानून के पास होने के बाद गोद लेने में केवल लड़कों का ही महत्व नहीं रह जायेगा, बल्कि लड़कियो को भी उतना ही महत्व मिल जायेगा और इस तरह से हम स्त्री और पुरुष को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार हम इस कानून को पास करके स्त्री पुरुष की समानता को अपने देश में बढ़ायेंगे ।

और इसी तरीके से हम अपने इस समाज को आगे की तरफ बढ़ाने में मदद करेंगे । इसलिये मैं हाउस के तमाम मेम्बरान से और खास कर

गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह जरूर इस बिल का दिल से समर्थन करें ताकि हम इस कानून को अपने साथ ले जाकर लोगों को बता सकें कि उनके लाभ के लिये संसद ने इसको पास किया है। इस तरह से जहां हम जो हमारी समाज सेविका बहनें हैं और भाई हैं उनकी मदद करेंगे वहां पाटस्कर साहब को भी यह श्रेय होगा कि जहां उन्होंने और बहुत से क्रांतीकारी कदम उठाये हैं वहां इस कानून को भी अपना आशीर्वाद देकर अपने यश में चार चांद लगायें हैं। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

**श्री धुसिया** (जिला बस्ती—मध्य पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम—— रक्षित—— अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसमें दो एक सुझाव अपनी तरफ से देना चाहता हूं। जिस तरह से आज कल देखा जाता है कि मिथिला, बनारस और बंगाल, बम्बई और मयूखा और मद्रास में जितने स्कूल हैं, जो कि हिन्दू स्कूल (हिन्दू सिद्धान्त) माने जाते हैं, उनमें ऐडाप्शन (दत्तक ग्रहण) के लिये डिफरेंट सिस्टम (भिन्न प्रणाली) हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें जो डिफरेंसेज हैं उन सबको हटा कर एक युनिफार्म लाकर दिया जाय ताकि ऐडाप्शन इजी और अच्छा हो जाय। अब तक तो यह है कि बनारस और बंगाल सिस्टम में अगर औरत से मर्द नहीं कहता है कि तुम ऐडाप्शन कर सकती हो तो वह नहीं कर सकती है। उसके कहने पर ही कर सकती हैं नहीं तो नहीं। लेकिन बम्बई और मयूखा में यह है कि वह अपने मन से कर सकती है अगर शौहर ने मना नहीं किया है। मद्रास में यह सिस्टम है कि अगर हस्बैन्ड (पति) के मरने से पहले औरत को ऐडाप्शन की इजाजत नहीं मिली है और वह ऐडाप्ट करना चाहती है, तो वह फैमिली के दूसरे मेम्बर्स की कंसेंट (मंजूरी) से कर सकती है। यह बात नहीं होनी चाहिये, इसका नतीजा यह होता है कि अगर कोई आदमी मर गया और उसकी बीवी ने कोई एडाप्शन कर लिया, तो ऐडाप्टेड लड़के का कोई कुसूर न होते हुए भी उसके साथ बड़ी इन्जस्टिस होती है और उसका हक मारा जाता है प्रापर्टी का। अगर वह अपनी नैचुरल फैमिली में रहा तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर वह ऐडाप्ट कर लिया गया तो उसको लालच हो गई कि उसको भी कुछ प्रापर्टी मिलनी चाहिये, लेकिन उसको जब नहीं दिया जाता तब उसको तकलीफ होती है। दरअसल आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दू ला के जितने स्कूल्स इस मामले में हैं उन सबको मिला कर एक कर देना चाहिये। अगर ऐडाप्शन का एक कानून हो जायेगा तो मेरे खयाल से ज्यादा अच्छा होगा। और वहां पर हमको इंटेंशन (इच्छा) देखना चाहिये। जिस तरह से हम ट्रस्ट कायम करते समय इंटेंशन देखते हैं, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक उसी तरह से ऐडाप्शन में भी इंटेंशन देखना चाहिये और फैक्टम वैलेट (तथ्यों का विवरण) का प्रिंसिपल (सिद्धान्त) रख देना चाहिये। अभी तक तो यह होता है कि अगर किसी तरह से कोई त्रुटि रह गई है तो लड़के को उसके हक से डिबार कर दिया जाता है। अगर लड़के का कोई कुसूर हो तब तो दूसरी बात है, लेकिन यहां तो लड़के का कोई कसूर न होते हुए भी उसे सोसायटी ने और कोर्ट ने डिबार कर दिया। इसलिये मैं इस प्वाइंट को ज्यादा इम्फैसाइज (आग्रह) करूंगा कि देश भर के लिये सारे स्कूल्स को मिला कर एक कानून कर देना चाहिये और उसमें इंटेंशन देखा जाय। अगर इंटेंशन हो तो लड़के को पूरा हक प्रापर्टी में मिलना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि ऐडाप्शन करते समय अभी तक उसमें जाति पांति की बड़ी रजिडिटी (अनानाम्यता) है। लेकिन अगर हम दरअसल हिन्दुस्तान में यह कहते हैं कि हम जाति पाति को नहीं मानते तो इसमें से भी जाति पति को हटा देना चाहिये। असल में वहां पर मानवता का विचार होना चाहिये। अगर आप पूरे देश के लिये कानून बनाते हैं और पूरे देश में मानव धर्म चलाना चाहते हैं तो आप जाति पाति के रोड़े को हटाइये। इसमें यह नहीं होना चाहिये कि अगर ऐडाप्टिव ब्वाय किसी पार्टिकुलर जाति का नहीं होगा तो उसका ऐडाप्शन इन्वैलिड हो जायेगा। अभी तक तो यह होता है कि यदि ऐडाप्टिव ब्वाय ऐडाप्टिंग फैमिली के जाति का नहीं होता है तो उसको डिबार कर दिया जाता है। यह गलत है। वह किसी भी जाति का हो, अगर ऐडाप्ट करने का इंटेंशन है तो उसको प्रापर्टी के हक से डिबार नहीं होना चाहिये। किसी भी जाति का हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी कंट्री का हो अगर ऐडाप्टिव पेरेन्ट्स ने ऐडाप्ट कर लिया है तो ऐडाप्टेड चाइल्ड को बराबर का हक मिलना चाहिये।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तक ऐडाप्शन के मामले में शूद्रों के लिये अलग कानून हैं, कास्ट हिन्दू के लिये अलग कानून है। अगर किसी शूद्र ने ऐडाप्ट कर लिया है तो

[श्री घुसिया]

भले ही ऐडाप्शन -इन्वैलिड (अमान्य) हो, लेकिन ऐडाप्टिव ब्वाय को प्रापर्टी में हिस्सा मिलेगा । पर अगर किसी कास्ट हिन्दू (स्वर्ण हिन्दू) ने ऐडाप्ट किया है और ऐडाप्शन इन्वैलिड है तो ऐडाप्टेड ब्वाय को सिर्फ मेन्टेनेन्स (साधारण व्यय) मिलेगा । यह कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) आप करते हैं । क्या जो शूद्र हैं वह हिन्दू नहीं है ? जब वह भी हिन्दू कहलाते हैं तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) क्यों करते हैं । आपको ऐसा कानून नहीं रखना चाहिये और अगर ऐसा कानून है तो उसको आप को ऐमेंड करना चाहिये तथा सबके लिये एक कानून बनाना चाहिये । यहां पर भी इंटेंशन पर जोर देना चाहिये । अगर ऐडाप्ट करने का इंटेंशन है तो उसको पूरा हक मिलना चाहिये । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप मानव धर्म की सेवा नहीं कर सकेंगे । न तो आप जो सैक्रमेंट (संस्कार) की बात करना चाहते हैं वह कर सकेंगे ।

इस सिलसिले में मैं यह कह दूं कि अगर आप जिन्दा आदमियों को उसके कोलेटरल फैमिली (सांपारिवकै परिवार) को जो आस पास के, नजदीक के रिश्तेदार हैं, उनको इस संसार में सुख नहीं दे सकते हैं, अगर आप लड़के के ऐडाप्शन को इन्वैलिड (अमान्य) करार देते हैं, तो यह सब झूठ है, बेकार है, कि दूसरे संसार में उसके रिश्तेदारों को सुख मिलेगा । पोप के जमाने में जब इंगलैण्ड में यह बात थी तब यहां के लिये भी ठीक हो सकती थी, लेकिन कम से कम अब तो आप इसको यहां पर खत्म कीजिये । अगर इंटेंशन है तो जरूर उसको हक मिलना चाहिये । अगर किसी भी बात में ऐडाप्शन के सिलसिले में कोई कमी रह गई है, तो मैं हाउस से और मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि फैक्टम बैलेट पर ज्यादा जोर दिया जाय । अगर इस पर जोर दिया गया तो किसी तरह की कमी रह जाने पर भी अगर ऐडाप्टेड ब्वाय का कोई कुसूर नहीं है तो उसके साथ इन्जस्टिस (अन्याय) नहीं होगी और वह ऐडाप्शन वैलिड होगा ।

इन सब सुझावों के साथ मैं हाउस से यह कहना चाहता हूं कि वह इस बिल को जरूर पास करे लेकिन यह जरूर किया जाना चाहिये कि कास्ट डिस्टिंक्शन (जाति भेद) हमेशा के लिये हटा दिया जाये ?

**Shri Altekar** (North Satara) : The Bill which has been placed before the House by Shrimati Jayashri deserves acceptance by the House. This is purely a secular as also a humane measure and there is no question of any religious or other considerations brought out in the Bill. It is not intended only for the Hindu society, but for all citizens in India. I have found in my experience as also practice as a lawyer for more than 30 years that even in Hindu society, persons who intended to take the boy in adoption could not take him because under the Hindu law, persons can be given in adoption only by the father or in his absence by the mother. But it so happens that many a time one likes to take a boy in adoption and that cannot take place because there is no parent alive. This Bill makes up that deficiency by allowing any guardian to give the child in adoption. This is really an improvement over the situation that obtains under the Hindu law. I would like to go even one step further.

If there is no guardian and still if the boy wants to go in adoption, he can go in adoption by his own consent with the acceptance of the person who wants to take him in adoption. Formerly, this was called *swayamdatta*. A person can himself go in adoption though there were no parents or anyone to give. Such adoptions should also be allowed.

There is another point. It should not be applicable only to children under eighteen years of age. Others also should be allowed to go in adoption because it is the secular, human consideration that should prevail and not the consideration whether one is below or above a particular age.

There is a provision here for male and female adoption. It is really an improvement. There should be no distinction on the ground of sex. There were certain persons desirous of taking a girl in adoption; they had no daughters and they desired that they should have a daughter in their family and then they should be able to get a girl in adoption from their relatives. There were cases where girls had been adopted but so far as Hindu law is concerned, it did not recognise such adoptions. In a society, there are certain practices by which things go on but they are not recognised by courts. So, this provision here is a salutary one. It is purely on account of one's affection, love and feeling that one wants to take a child of the relative or a stranger as one's own child. There should be a provision by which this should be possible. There is a craving in one's

heart and that craving should be satisfied. I think this law which has been contemplated and placed before the House by my Hon. Sister, Shrimati Jayashri, is really a good one.

But, I feel that there should not be any intervention by the Court for the purpose of adoption. To go before a Court, to get decrees passed and then take adoption—this procedure should not be a compulsory one. Marriages can be solemnised by mere registration. In the case of adoption also provision should be made to take a girl or boy in adoption by registration. It will be an easier way of taking a boy or girl in adoption; it will be less costly as well. It will be within the reach of a villager. The other procedure is cumbersome.

Therefore, I would like to suggest that there should be an amendment to the effect that if a person wants to take up any child in adoption, he should be allowed to do so by the process of mere registration as in the case of marriage.

Another point that I would like to bring before this House is that, so far as inheritance is concerned, a boy once taken in adoption according to Hindu law forfeits all his rights in the natural family or the family of his parents. I submit, if that boy can inherit in both the families that should be allowed. In olden days, we know the case of Dyamushyana, who can under certain circustances inherit the properties in both the families. Therefore, I would like to suggest, if there are no near heirs like brothers or sisters to inherit, then the boy given in adoption should be in a position to inherit the property of his parents. A provision to that effect should also be made in the case of this law of adoption.

The next point that I would like to make out is that this law of adoption is desired purely from the secular and human point of view. The question of religious efficacy or any other consideration which are there in the Hindu law will not obtain for purposes of such adoption. There should not be any sort of restriction as to the caste or religion in respect of both the parties. One who wants to take a boy or a girl in adoption need not be of the same caste or religion of the boy or the girl. In the Bill now before the House there is no such distinction made.

So far as Hindus are concerned, if anyone wants to take a boy in adoption for purposes of religious efficacy for offering oblations etc., he should be quite free to do it acording to the Hindu law. There is also a provision made here that the Hindu law of adoption will not in any way be affected by this law. If that freedom is given and if the Hindu law of adoption is not touched in so far as it allows anyone to adopt a child for purposes of religious and spiritual satisfaction, then I should think that the Hindus need not in any way be perturbed by this law of adoption, because this provision which we are making for the adoption of children is purely from the point of view of emotion, sentiment, affection and so on. When there are these considerations obtaining in the society, those who want to adopt boys and girls should, I think, be allowed and that process should be made into law as early as possible.

I want to make many more observations, but the time at my disposal is very short. I would like to give my support to this Bill because this has been brought out of purely human and secular considerations. These are matters, I may say, of importance in any society which is advancing culturally.

**Shri N. Rachiah** (Mysore—Reserved—Sch. Castes): Though I welcome the principle of this important Bill, I would like to point out certain important hardships in the way of the Government accepting this Bill. We have already passed two important chapters pertaining to Hindu Code, that is the Marriage and Divorce Bill and also the Hindu Succession Bill. The next or the last instalment of Hindu Code will be pertaining to adoption. So, I am sure that the Government or the Law Minister is going to bring in a legislation.

**Shri Pataskar:** I would like to bring to the notice of the hon. Member that what is mentioned in the Statement of Objects and Reasons is: "This Bill is primarily intended for the benefit of communities other than Hindus".

**Shri N. Rachiah:** Yes. I accept the suggestion. We are in a secular State according to our Constitution. When the first two chapters were discussed in the Hindu Code Bill, many of the Members, particularly, Shri N. C. Chatterjee and others, were of the opinion that there

[Shri N. Rachiah]

must be a uniform civil code governing all the communities. When such is the case, if we adopt this Bill, what will be the consequences? The consequences will be that you cannot observe a uniform civil code. Supposing, we pass or bring forward a uniform civil code, the Muhammadan law does not regard or respect any adoption at all. So, the Muhammadans and the Christians cannot have one civil code. So, if we Hindus accept this adoption principle and impose it upon the other religions which are generally opposed to one civil code, it will be a matter which will be very difficult for all religions to accept.

Another important point which I would like to bring forward to the notice of the House is this. A section of our society is of the opinion that adoption itself should be dispensed with in our society. As a matter of fact, Shri S. V. Ramaswamy has brought forward a Bill that adoption in our society should be immediately dispensed with.

There is also another consideration. According to this Bill, apart from the son being adopted as usual and which we are having already, the mover of the Bill has advocated that even girls should be adopted. I welcome it, but the orthodox section of our society, the Hindu society, has always been opposing it. They want our customary law to be enforced and they are in force now. To some extent, custom and usage have been in force, and they have been accepted by the Hindu Code. So, those people will not accept the principle because it is applied in the case of the girls also. According to my interpretation of our Hindu law, adoption is only meant to see that certain sentiments, sacraments and desires are achieved. If a girl is actually adopted into a family where there are no children, that girl is to be given in marriage to some other family and we adopt this strange girl to our family, and actually we give the same girl to some other family in marriage. So, it is as good as not adopting the girl at all.

**Pandit C. N. Malviya:** It is not an imposition.

**Shri N. Rachiah:** I welcome any piece of good legislation. I am only bringing forward the difficulty and hardship which will come in the way of adopting daughters if we accept the particular provisions in the Bill. But this Bill very rightly aims at the protection of the children and in that respect I very strongly support the Bill. It is the most important and primary duty of the Government and the society to take care and protect the children and take interest in child welfare. We have taken very little care in that regard. After the constitution of the Social Welfare Board, I have been seeing that that Board is encouraging child welfare and child protection. Prior to that, there was no attempt to safeguard the interests of the child.

Apart from that, child is the most important wealth of our country and of any nation in the world and as such, I very strongly support that children should be protected and given all encouragement. While doing so, it is natural that our people, especially our poor people, leave their children to the care of Nature. Even rich people in our country have in general not thought of giving any encouragement or protection to the children and as such I very strongly support the provisions in this Bill. The provisions for child welfare and compulsory education of children belonging to all communities irrespective of caste, creed or sex, should be given immediate effect as incorporated in the Directive Principles of our Constitution.

I would like to bring to the notice of the House that by adopting this Bill, there will be some complications. Though the principle of the Bill can be welcomed from the point of view of giving encouragement to the facilities to children, by adopting this, very many hurdles, hardships and difficulties will be put in the way of the Government and our society also, because ours is a country where Muslims, Christians, Hindus and people belonging to so many other religions live. Therefore, it will be very difficult to bring forward one civil code for all. But, I hope Government will bring forward one civil code governing all the people belonging to all the religions who are living in our country.

**Shri N. B. Chowdhury** (Ghatal): I rise to give my support to the Bill brought forward by Shrimati Jayashri. So far as I can see, this Bill relates to adoption to a certain extent. As the hon. Minister of Legal Affairs just pointed out, according to the Statement of Objects and Reasons, nothing in this Bill is intended to affect the existing law of

adoption applicable to Hindus. But in clause 3 of the Bill, it has been said as follows :

> "Provided that nothing contained in this Act shall affect the provisions of Hindu Law relating to the adoption of a son."

So, here the restriction is only with regard to the son; but, the hon. mover of this Bill has said that this should apply in the case of female children also. Therefore, she seeks to remove this discrimination regarding the adoption of the female children.

**Shrimati Jayashri :** In the Statement of Objects and Reasons, I have said that those who are desirous of adopting a child under this Act may do so.

**Shri N. B. Chowdhury :** That strengthens the point. That is the answer to what the hon. Minister has pointed out. This Bill liberalises the adoption procedure and removes certain restrictions and discriminations that prevail now. So, I think there will be no difficulty in adopting this measure at this time.

Without taking further time of the House, I will just conclude by making one observation. Unless the Government seriously brings forward certain other measures to improve the general social ethics in our country and also to improve the economic, cultural and social conditions in the country, any kind of piecemeal legislation will not go a long way towards removing the various difficulties standing in the way of the adoption of children and the other difficulties that are there in our society.

**Shri M. D. Joshi** (Ratnagiri South) : As I read the Statement of Objects and Reasons, I am confronted with contradictions. As pointed out by the hon. Minister, in the last paragraph it is said :

> "This Bill is primarily intended for the benefit of communities other than Hindus."

So, it would be seen that the Bill is intended to be made applicable to all persons other than Hindus. But, in para. 2, it is said like this :

> "At present adoption of "Dattaka-vidhan" is considered necessary only to perform sacramental and ablution rites for ancestors, and only a son is entitled to perform this ceremony. Therefore, girls are not taken in adoption and a child is taken in adoption which is nearest of kin or from the same ancestral family of the adoptive father."

**Mr. Deputy-Speaker :** Is the hon. Member likely to take some more time?

**Shri M. D. Joshi :** Yes.

**Mr. Deputy-Speaker :** He may continue on the next day.

The House stands adjourned till 10-30 A.M. on Monday.

6 P.M.

*The Lok Sabha then adjourned till Half Past Ten of the Clock on Monday, the 21st May, 1956.*